सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 16, सोमवार, शाके 1943-मार्च 07, 2022
Phalguna 16, Monday , Saka 1943- March 07, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 04, 2022

संख्या प.6(324)परि/कर/मु/2019/पार्ट-1/4415 :-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(208)परि/कर/मु/08 दिनांक 02.12.2008 को अतिष्ठित करते हुये राज्य सरकार, यह राय रखते हुये की लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा पारस्परिक सामान्य परिवहन करार, 2021 (Reciprocal Common Transport Agreement, 2021) के अधीन जारी अनुज्ञापत्रधारी अन्य राज्यों में पंजीकृत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित होने वाले निम्न श्रेणी के वाहनों पर राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन संदेय कर का प्रतिहार करती है, अर्थात् :-

1.ऑटो रिक्शा, टैक्सी एवं मोटर कैब,

2.राज्य परिवहन उपक्रमों की मंजिली तथा नगरीय सेवा की बसें,

3.शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन ।

उक्त अधिसूचना पारस्परिक सामान्य परिवहन करार, 2021 (Reciprocal Common Transport Agreement, 2021) की शर्तों के अधीन संचालित वाहनों पर ही प्रभावी हो ।

राज्यपाल के आदेश से,
महेन्द्र कुमार खींची,
संयुक्त शासन सचिव।

11475

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।